रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार व्दारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4 खण्ड (ख)

परिनियत आदेश

लखनऊ, मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2000

ग्रहायण 28, 1022 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-5

सं0 क0नि0-5-7243/11-2000-500(80)-98

लखनऊ, 19 दिसम्बर, 2000

अधिसूचना

प0आ0 1521

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय- समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा 1 के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य पाल

(क) 6 नवम्बर 1996 से प्रारम्भ होने वाली और 19 फरवरी 1997 को समाप्त होने वाली ,

(ख) 19 फरवरी 1998 से प्रारम्भ होने वाली और 30 नवम्बर 1998 को समाप्त होने वाली,

(ग) 1 दिसम्बर 1999 से प्रारम्भ होने वाली और 19 अप्रैल 2000 को समाप्त होने वाली,

अवधि के लिए उक्त भूमि में पट्टाधृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के पट्टेदार के पक्ष मे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार व्दारा प्राधिकृत व्यक्ति व्दारा निष्पादित लखित पर उक्त अधिनियम की अनुसूचित 1 बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड क के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि जो पूर्णस्वामित्व लिखत में दी गयी प्रतिफल की धनराशि से ऐसी नजूल भूमि के बाजार मूल्य तक अधिक हो पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की सीमा तक करते है । परन्तु यह कि अधिसूचना नजूल भूमि में नीलम या निविदा आमंत्रण के व्दारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने से संबंधित मामलों में लागू नही होगी ।

स्प्ष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शब्द प्रतिफल का तात्पर्य ऐसे पूर्ण स्वामित्व प्रभार और उस ब्याज यदि कोई हो जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार व्दारा प्राधिकृत व्यक्ति व्दारा पट्टाधृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए किया गया हो से है ।

आज्ञा से,

टी0जार्ज जोसेफ,

प्रमुख सचिव ।

The governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.K.N. 5-7243/xi-2000-500-(80)-98 dated December 19, 2000 for general information:

no.K.N. 5-7243/xi-2000-500-(80)-98
dated Lucknow December 19, 2000.

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian stamp Act. (Act no 2 of 1899) as amended from time to time in its application in Uttar Pradesh the Governor is pleased to reduce for the period.

(a) Commencing on November 6 1996 and ending with February 19 1997.
(b) Commencing on February 19 1998 and ending on November 30 1998.
(c) Commencing on December 1 1999 and ending on April 19, 2000.

The Stamp Duty Chargable under clause (a) of Article 23 of Schedule 1-B of the said Act on the instrument executed by the person authorized by the state Government of Uttar Pradesh in Favour of the lessee of Nazul land to the extent of the stamp duty chargeable on the amount that exceeds the amount of the consideration set forth in such freehold instrument upto the market valuve of such Nazul land,

Provided that this notification shall no apply to matters relating to granting freehold right in Nazul and by way of auction or initation of teder.

Explanation.- for the purpose of this notification the word consideration meand the freehold charges and the inerest of this notification the words consideration means the freehold charge and the interest thereon if any taken by the person authorized by the state Government o Uttar Pradesh for the purpose of converting leasehold rights in to free hold rights.

By order

T George Joseph.

Pramukh Sachiv.